20.3.25

पत्रावली पेश हुई रिपोर्ट पटवार
बहस सुनी गई निर्णय पृथक
से लिखवाया। आकर खुले न्यायालय
में सुनाया। प्रति निर्णय की पृथक
से बाद पालनार्थ तहसीलदार
अलवर को भिजवाई जाकर
पत्रावली बाद तकमील, अमलदरामद
हो दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर, जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी —श्री यशार्थ शेखर (I.A.S.)

मु.नं.	तारीख दायर	किस्म	तारीख निर्णय
03 / 26	14.06.2024	136 LR Act	20.03.2025

बउनवान

1:—जंगीरसिंह पुत्र श्री सुहावासिंह निवासी ग्राम बास साहोडी तहसील अलवर हाल निवासी ग्राम रसगण तहसील नौगांवा जिला अलवर

प्रार्थी

बनाम

1— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब अलवर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 एल.आर. एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी का सही नाम जंगीर सिंह पुत्र सुहावा सिंह है एवं प्रार्थी के नाम जो आधार कार्ड संख्या 9224 5774 6019 बना हुआ है, उसमें भी प्रार्थी का सही नाम जंगीरसिंह ही दर्ज किया गया है। प्रार्थी ग्राम बास साहोडी तहसील अलवर का रहने वाला है तथा गत कुछ समय से ग्राम रसगण तहसील नौगांवा में निवास कर रहा है एवं प्रार्थी का आधार कार्ड भी ग्राम रसगण के पते पर ही बना हुआ है प्रार्थी व उसके अन्य भाईयों की खातेदारी की आराजी बास साहोडी तहसील अलवर में स्थित है, जिसके गत खसरा नम्बर 902 रकबा 19 बिस्वा व 712 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा है, जिनके हाल खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.12, 1961 रकबा 0.12, 2022 रकबा 0.59, 2023 रकबा 0.30, 2056 रकबा 0.02 कुल किता 5 रकबा 1.15 हेक्टर है, जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है

उपरोक्त आराजीयात की जमाबंदी सम्वत 2037 लागायत 2040 में प्रार्थी का सही नाम जंगीरसिंह दर्ज किया गया है। किन्तु बंदोबस्त हाल में बंदोबस्त कर्मचारियान द्वारा सहबन से प्रार्थी का नाम गलत तौर पर जाकिर सिंह पुत्र सुहाबसिंह दर्ज कर दिया, जो गलत है और जिसका दुरूस्त किया जाना न्याय हित में आवश्यक है प्रार्थी ने इस संबंध में साहब तहसीलदार अलवर को निवेदन करते हुए प्रार्थी का सही नाम जंगीर सिंह दर्ज करने के लिए

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

वेदन किया तो उन्होंने श्रीमान के यहां से आदेश प्राप्त करने के लिए कहा, जिस पर यह र्थना पत्र बिना किसी देरी के पेश है प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य है, जिस र न्यायालय शुल्क पेश है।

अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी गत खसरा नम्बर 902 रकबा 19 बिस्वा, 712 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा जिनके हाल खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.12, 1961 रकबा 0.12, 2022 रकबा 0.59, 2023 रकबा 0.30, 2056 रकबा 0.02 कुल किता 5 रकबा 1.15 हेक्टर कायम किये गये हैं, वाके ग्राम साहोडी तहसील अलवर में बंदोबस्त हाल सम्वत 2051 व उसके बाद की कामयशुदा जमाबंदी आदि में प्रार्थी का गलत नाम जाकिर सिंह को दुरूस्त फरमाया जाकर सही नाम जंगीरसिंह पुत्र सुहावसिंह दर्ज किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिपोर्ट प्राप्त की गई प्राप्त रिपोर्ट क्रमॉकः भू0 अ0 / 2025 / 274 दिनॅाक 13–1–2025 के अनुसार तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट बिंदुवार निम्न प्रकार से है मुताबिक जमाबन्दी हाल सेग्रीगेशन में जाकिर सिंह पुत्र सुहाब सिंह हिस्सा 1/5 जाति रायसिख सा. देह खातेदार दर्ज रिकोर्ड है मुताबिक जमाबन्दी चोसाला सम्वंत 2069–2072 में उक्त आराजी जाकिर सिंह पुत्र सुहाब सिंह जाति राय सिख दर्ज रिकोर्ड है।

मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वंत 2051–2070 वाके ग्राम साहोडी तहसील अलवर में दर्ज की स्थिति निम्न प्रकार से है।

हाल रिकार्ड के अनुसार		सम्वत 2051 के अनुसार	
खसरा नम्बर	रकबा हैक्टर मे	खसरा नम्बर	रकबा बीघा/बिस्वा
1960	0.12	712	3 बीघा 12 बिस्वा
1961	0.12	902	19 बिस्वा
2022	0.59		
2023	0.30		
2056	0.02		

भू–प्रबन्ध मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2051–2070 में उक्त आराजी में जाकिरसिंह पुत्र सुहाब सिंह जाति रायसिख दर्ज रिकोर्ड है।

मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2046–2049 में उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 712 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा एंव 902 रकबा 19 बिस्वा में जागीर सिंह पुत्र सुहाब सिंह जाति रायसिख दर्ज रिकोर्ड है जमाबन्दी हाल सेग्रीगेशन में उक्त खसरा नम्बरो दर्ज जाकिर सिंह पुत्र सुहाब सिंह भू–प्रबन्ध मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2051–2070 में अमल के दोरान सैटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटी को राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी द्वारा जाकिर सिंह पुत्र सुहाबसिंह के बजाय जागीर सिंह पुत्र सुहाबसिंह दुरुस्त का अनुतोष चाहा गया है।

अतः मुताबिक जॉच रिपोर्ट के जमाबन्दी सम्वत 2046–2049 मे उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 712 रकबा 3 बीघा 12 एंव 902 रकबा 19 बिस्वा में जागीर सिंह पुत्र सुहाब सिंह जाति रायसिख दर्ज रिकोर्ड है। जो भू–प्रबन्ध मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2051–2070 मे अमल के दौरान सैटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटी को राजस्व रिकोर्ड में जाकिरसिंह पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

ाबसिंह के बजाय जंगीर सिंह पुत्र सुहाव सिंह प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष राजस्व कोर्ड में दुरुस्त किया जाने की अभिशंषा की है।

136 Correction of errors :- the land Records officer may at any time, correct of cause o be corrected in the presctibed manner any clerical errors and any errors which the parties nterested admit to have been mad in the record to rights or register, or which a revenue officer may notice during the course of his inspection in any Registar. Provided that any error is noticed by a Revenue officer in any record of tights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been to the parties

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार उक्त उनवानी प्रकरण मे जमाबन्दी सम्वत 2046–2049 मे उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 712 रकबा 3 बीघा 12 एंव 902 रकबा 19 बिस्वा में जागीर सिंह पुत्र सुहाब सिंह जाति रायसिख दर्ज रिकोर्ड है जो भू–प्रबन्ध मिसल बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत 2051–2070 मे अमल के दौरान सैटलमेंट विभाग द्वारा की गई त्रुटी राजस्व रिकार्ड का अद्यतन (अमल) करते समय उपरोक्त त्रुटि कारित हुई है जो बन्दोवस्त के पश्चात् निरन्तर चली आ रही है।

Correction of errors के सम्बन्ध में निम्नांकित न्यायिक विनिश्चिय हमारा मार्गदर्शन करते है :–

न्यायिक विनिश्चय आर.आर.टी.(2)783 बोगड सिंह बनाम स्टेट ऑफ राज. में यह अभिर्निधारित किया है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत भू0 अभिलेख अधिकारी के अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्रद्वत किये गये है। कि भू–प्रबन्ध के दौरान् कोई गलत इन्द्राज कर दिया है या सहवन से रह गया है तो उसको दुरूस्त किया जा सकता है।

आर.आर.टी. 2018(2) 1514, आर.आर.टी. 2018(2) 1030 में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि भू–अभिलेख अधिकारी धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत भू–प्रबन्ध के दौरान् परिवर्तित किये गये इन्द्राज/त्रुटि को ठीक कर सकता है।

आर.आर.टी.2018(2) 1158 में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पैरा–7 में यह अभिर्निधारित किया गया है कि बदोबस्त के दौरान् राजस्व अभिलेख में की गई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का अधिकार उपखण्ड अधिकारी को प्राप्त है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम थानसिंह वगैरा डी.बी. सिविल रिट पिटीशन सख्या 163/78 निर्णय दिनांक 05.05.1978 में भी उपरोक्त तथ्य जाहिर किया गया है।

अतः उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों की रोशनी में इस प्रार्थना पत्र में प्रश्नगत आराजी के सम्बन्ध में बन्दोबस्त विभाग द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न प्रा0पत्र, राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा शुद्विकरण के लिये उक्त संशोधन के सम्बन्ध मे वाछित रिकॉर्ड प्रस्तुत क्रिया गया है तथा जिसका सत्यापन तहसीलदार अलवर की रिपोर्ट एंव अभिशंषा से भी होता है अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 मे पोषणीय होने के कारण प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

ते है कि वाके ग्राम साहोडी तहसील अलवर के गत खसरा नम्बर 902 रकबा 19 बिस्वा व 12 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा है, जिनके हाल खसरा नम्बर 1960 रकबा 0.12, 1961 रकबा 0.12, 2022 रकबा 0.59, 2023 रकबा 0.30, 2056 रकबा 0.02 कुल किता 5 रकबा 1.15 हेक्टर है, जिसमें प्रार्थी का 1/5 हिस्सा है मे अंकित **जाकिरसिंह पुत्र सुहाबसिंह के स्थान पर स्थान पर जंगीर सिंह पुत्र सुहाबासिंह** राजस्व रिकार्ड अंकित किया जाकर दुरूस्त किया जावे शेष प्रविष्टिया यथावत रहेगी।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक २०-३-२५ को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

यशार्थ शेखर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर